संख्या-41/2018/2878/22-2-2017-17(202)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम बाबू मौर्या पुत्र श्री राम भरोसे उर्फ छेद्दा निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38242/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02.05.2017) दिनांक 24.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम बाबू मौर्या पुत्र श्री राम भरोसे उर्फ छेद्दा, जो मुरॉव, थाना-थरियॉव, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी के पिता जूनियर हाईस्कूल में मैनेजर थे। मृत्यु के पश्चात मृतक इन्द्रदेव मैनेजर बना था। इसी रंजिश में दिनांक 09.11.1999 को सायं लगभग 05:00 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से फायर कर इन्द्रदेव की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 सं0-1), फतेहपुर के आदेश दिनांक 31.01.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2004 द्वारा धारा-302/34 में परिवर्तित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.10.2016 तक 14 वर्ष 01 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी के पिता जूनियर हाईस्कूल में मैनेजर थे। मृत्यु के पश्चात मृतक इन्द्रदेव मैनेजर बना था। इसी कारण दिनांक 09.11.1999 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से फायर कर इन्द्रदेव की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्याम बाबू मौर्या पुत्र श्री राम भरोसे उर्फ छेद्दा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्याम बाबू मौर्या (बन्दी संख्या-2274/2008) पुत्र श्री राम भरोसे उर्फ छेद्दा निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2018/2878(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-41/2018/2878/22-2-2017-17(202)/2012

दिनांक 16 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम बाबू मौर्या पुत्र श्री राम भरोसे उर्फ छेद्दा, जो मुरॉव, थाना-थरियॉव, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी के पिता जूनियर हाईस्कूल में मैनेजर थे। मृत्यु के पश्चात मृतक इन्द्रदेव मैनेजर बना था। इसी रंजिश में दिनांक 09.11.1999 को सायं लगभग 05:00 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से फायर कर इन्द्रदेव की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 सं0-1), फतेहपुर के आदेश दिनांक 31.01.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2004 द्वारा धारा-302/34 में परिवर्तित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.10.2016 तक 14 वर्ष 01 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी के पिता जूनियर हाईस्कूल में मैनेजर थे। मृत्यु के पश्चात मृतक इन्द्रदेव मैनेजर बना था। इसी कारण दिनांक 09.11.1999 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से फायर कर इन्द्रदेव की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्याम बाबू मौर्या पुत्र श्री राम भरोसे उर्फ छेद्दा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in